

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल

क्रमांक एक/73-13/20-5/2001,

भोपाल, दिनांक:

प्रति,

साहब,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,  
प्रोताबिहार, नई दिल्ली.

विषय:- अशासकीय डी. ए. चही. पब्लिक स्कूल सी. डबल्यू. एस. जयंत लोधी को लोधीएससी से अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ।

—0—

राज्य शासन व अशासकीय डी. ए. चही. पब्लिक स्कूल सी. डबल्यू. एस. जयंत लोधी को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु निम्नालिखित शर्तों पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र देता है :-

- 1/ संस्था द्वारा संस्था की कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि तद्विहित करना अनिवार्य होगा ।
- 2/ केन्द्रीय मा. शिक्षा मंडल से संबद्धता मिलने के उपरांत भी राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का वास्तव में अनुपालन हेतु प्रति माध्यमिक होगी एवं आवश्यकतानुसार जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था का निरीक्षण कर सकेगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

डॉ. आर. के. भार्यक

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक: 3/8/2001

पृष्ठ संख्या एक/73-13/20-5/2001,

प्रतिलिपि:-

- 1/ आयुक्त, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, लोधी ।
- 3/ अध्यक्ष/प्रवर्धक डी. ए. चही. पब्लिक स्कूल सी. डबल्यू. एस. जयंत लोधी की ओर सूचना हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग